

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक/एसएलएनए,
नगरीय निकाय, उ०प्र०,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2014

विषय: भारत सरकार द्वारा कियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु अवमुक्त केन्द्रांश एवं अनुमन्य राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- पीएमयू/328/124(4)/2013, दिनांक 28.03.2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत 04 परियोजनाओं हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹ 8907.93 लाख के सापेक्ष अनुमन्य/प्रस्तावित राज्यांश की धनराशि ₹ 3334.575 लाख को सम्मिलित करते हुए केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि ₹ 12242.505 लाख (₹ एक अरब बाईस करोड़ बयालीस लाख पचास हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नांकित विवरणानुसार एवं शर्तों/उपबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.मां.क	जन्तपद	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत/पुनरीक्षित लागत	स्वीकृत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश	भा/स द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश में समायोजित की गयी ब्याज की धनराशि	कालम-5 के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लखनऊ	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट - III (पार्ट- II)	21443.00/ 28762.83	2680.38	2478.43	201.95	1072.150	3550.580
2	इलाहाबाद	सीवरेज (जोन-डी) फेज-1	33826.00	4228.25	4228.25	--	1691.300	5919.550
3	वाराणसी	जलापूर्ति पार्ट- II सिस वरूना एरिया नगर निगम योग	8610.00/ 11050.85	1076.25	1076.25	--	430.500	1506.750
					7782.93	201.95	3193.950	10976.880
4	मथुरा	सीवरेज जोन- II नगर पालिका योग	6035.77	1125.00	1125.00	--	140.625	1265.625
					1125.00	--	140.625	1265.625
		महायोग (ननि+नपाप)			3907.93	201.95	3334.575	12242.505

(₹ एक अरब बाईस करोड़ बयालीस लाख पचास हजार पाँच सौ मात्र)

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस०एल०एन०ए०) के खाते में रखी जायेगी।
- (2) यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

- (3) प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि में समायोजित की गयी ब्याज की धनराशि ₹ 201.95 लाख को परियोजनाओं के खाते में उपाजित ब्याज की धनराशि से आहरित कर केन्द्रांश के रूप में उपयोग में लाया जायेगा।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निकाय अंश की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एसएलएनए/निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा प्राथमिकता पर की जायेगी।
- (5) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि में से ₹ 10976.88 लाख (₹ एक अरब नौ करोड़ छियत्तर लाख अट्ठासी हजार मात्र) का व्यय लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191-नगर निगमों को सहायता-03-जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता (के.50/रा.20-के.+रा.)-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा तथा ₹ 1265.625 लाख (₹ बारह करोड़ पैंसठ लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) का व्यय लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-03-जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता (के.50/रा.20-के.+रा.)-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या: 2568(1)/नौ-5-2012-55बजट/2006टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- अनुसचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 9- टीम लीडर, पीएमयू, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 11- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 12- नियोजन अनुभाग-3/4
- 13- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग/कम्प्यूटर सेल।
- 14- गार्ड फाइल

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक/एसएलएनए,
नगरीय निकाय, उ०प्र०,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2013

विषय: भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु अवमुक्त केन्द्रांश एवं अनुमन्य राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- पीएमयू/1511/124(4)/2013, दिनांक 19.12.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत 09 परियोजनाओं हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹ 16907.52 लाख के सापेक्ष अनुमन्य/प्रस्तावित राज्यांश की धनराशि ₹ 6060.00 लाख को सम्मिलित करते हुए केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि ₹ 22967.52 लाख (₹ दो अरब उनतीस करोड़ सड़सठ लाख बावन हजार मात्र) की निम्नांकित विवरणानुसार एवं शर्तों/उपबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.मां.क्र.	जनपद	परियोजना का नाम	स्वीकृत/पुनरीक्षित लागत	स्वीकृत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश	भा/स द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश में समायोजित की गयी ब्याज की धनराशि	कालम-5 के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि	केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लखनऊ	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट- I)	26216.00	3277.00	3160.36	116.64	1310.80	4471.16
2	लखनऊ	सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	4292.37	536.55	473.71	62.84	214.62	688.33
3	वाराणसी	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	19162.00	2395.25	2321.82	73.43	958.10	3279.92
4	कानपुर	सीवेज ट्रीटमेंट	10100.45	1262.56	1209.68	52.88	505.03	1714.71
5	वाराणसी	जलापूर्ति कम्पोनेन्ट (प्राथमिकता- II) ट्रांस वरुणा एरिया	20916.00	2250.00	2201.22	48.78	900.00	3101.22
6	मेरठ	सीवरेज जोन-5 व 7	18589.00	2250.00	2216.13	33.87	900.00	3116.13
7	कानपुर	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4	20736.00	2500.00	2455.60	44.40	1000.00	3455.60
		नगर निगम योग	120011.82	14471.36	14038.52	432.84	5788.55	19827.07
8	मथुरा	स्ट्राम वाटर ड्रेनेज	8720.00	1744.00	1744.00	0.00	130.820	1874.82
9	मथुरा	सीवरेज जोन-II	6035.77	1125.00	1125.00	0.00	140.625	1265.63
		नगर पालिका योग	14755.77	2869.00	2869.00	0.00	271.45	3140.45
		महायोग	134767.59	17340.36	16907.52	432.84	6060.00	22967.52

(₹ दो अरब उनतीस करोड़ सड़सठ लाख बावन हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस०एल०एन०ए०) के खाते में रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

- (3) यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (4) प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि में समायोजित की गयी ब्याज की धनराशि ₹ 432.84 लाख को परियोजनाओं के खाते में उपार्जित ब्याज की धनराशि से आहरित कर केन्द्रांश के रूप में उपयोग में लाया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निकाय अंश की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एसएलएनए/निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा प्राथमिकता पर की जायेगी।
- (6) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि में से ₹ 19827.07 लाख (₹ एक अरब अट्ठान्ने करोड़ सत्ताईस लाख सात हजार मात्र) का व्यय लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191-नगर निगमों को सहायता-03-जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता (के.50/रा.20-के.+रा.)-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा तथा ₹ 3140.45 लाख (₹ इकतीस करोड़ चालीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) का व्यय लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-03-जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता (के.50/रा.20-के.+रा.)-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या: 8392(1)/नौ-5-2012-55बजट/2006टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- अनुसचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 9- टीम लीडर, पीएमयू, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 11- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 12- नियोजन अनुभाग-3/4
- 13- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग/कम्प्यूटर सेल।
- 14- गार्ड फाइल

आज्ञा से
31/12/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव